भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 827**
06/02/2026 को उत्तरार्थ

**विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत मुआवजा भुगतान में विलम्ब**

**827. श्री नीरज डांगी**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसानों को मिलने वाले मुआवजे में विलम्ब के क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसानों के दावों का निपटान करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमा कंपनियों पर देर से भुगतान या गलत रिपोर्टिंग के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से पीएमएफबीवाई को पूरी तरह से लागू करने पर विचार कर रही है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) और (ख): बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के दौरान, पूर्व में दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, जो मुख्यतः **(क) सब्सिडी का राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी करने (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/देरी से भुगतान या कम भुगतान करना (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि से संबंधित थीं।** इन मुद्दों के कारण लंबित हुए दावों को योजना के प्रावधानों के अनुसार समाधान करके निपटान किया जाता है।

(ग) दावों के भुगतान की प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने हेतु खरीफ 2022 से **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल आरंभ किया गया है। इसमें सभी दावों के समय पर और पारदर्शी प्रक्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः ही गणना करके लगाया जाता है।

**(घ):** वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******